बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026 – पी०पी०एम० - 112 – /पटना दिनांक- 26.10.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

(+) **अनौपचारिक रूप से परामर्शित**

विषय : **राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 63.75 लाख (तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये के स्थान पर मूल स्वीकृत राशि में 14.11 प्रतिशत वृद्धि उपरान्त 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये मात्र की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 63.75 लाख (तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये के स्थान पर मूल स्वीकृत राशि में 14.11 प्रतिशत वृद्धि उपरान्त 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–NHM/BHDS/121/2024- पी०पी०एम०–27 दिनांक– 15.03.2024 द्वारा राज्य स्कीम मद से नारियल पौधा वितरण योजना का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक, तीन वर्षो के लिए कुल 159.38 लाख (एक करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार) रूपये (मूल स्वीकृत राशि) की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 31.88 लाख (इकतीस लाख अठासी हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त स्वीकृत्यादेश के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 86.25 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतएव यह चालू योजना है।

3. योजना का भौतिक आकार **अनुसूची–01** के अनुरूप है, जिसकी कुल लागत राशि 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र है। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026–27 में कराया जाएगा, जो मूल स्वीकृत राशि 63.75 लाख (तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये के स्थान पर 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी जाती है।

4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन बिहार कृषि ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में नारियल पौधा का वितरण **अनुसूची–2** के अनुरूप राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

5. नारियल के पौधा की इकाई लागत 115.00 रूपये (उत्पादन व्यय 100.00 रूपये एवं जिला परिवहन व्यय 15.00 रूपये) है। इकाई लागत 115.00 रूपये प्रति पौधा पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानि 86.25 रूपये देय होगा। पूर्व में स्वीकृत नारियल पौध वितरण योजना का

स्वीकृत्यादेश संख्या–09 दिनांक 01.06.2026 की कंडिका–5 में अंकित ईकाई लागत 85.00 रूपये (उत्पादन व्यय 70.00 रूपये एवं जिला परिवहन व्यय 15.00 रूपये) के संदर्भ में नारियल विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय– पटना के पत्र संख्या F.No. 165/2024-विकास/Dev.-22 दिनांक 04.06.2026 के द्वार सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में 'नारियल विकास बोर्ड' द्वारा प्रति पौध दर क पुनर्निर्धारण किया गया है।

6. जिलावार लक्षित पौधा, नारियल विकास बोर्ड, बिहार, पटना के माध्यम से जिला उद्यान पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदकों को वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 712 पौधा (प्रति हेक्टेयर 178 पौधा) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. इस योजना अन्तर्गत नारियल पौधा का वितरण वैसे आवेदकों को किया जायेगा, जो अपने घर के आस–पास अपनी जमीन/बाड़ी/किचेन गार्डेन/खेत में लगाने को इच्छुक होंगे।

8. नारियल पौधों के अनुदानित दर पर वितरण का लाभ हेतु भू–लगान रसीद अथवा अन्य कोई भू–अभिलेख समर्पित किया जाना होगा।

9. योजना का लाभ लेने हेतु बिहार कृषि ऐप पर आवेदन किया जाएगा।

10. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। योजना अन्तर्गत आवेदकों का चयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के आधार पर किया जायेगा।

11. योजनान्तर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन सामान्य वर्ग के लिए उपबंधित राशि से किया जायेगा।

12. योजना में स्वीकृत राशि की निकासी, अनुसूची– 02 के आलोक में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form - 25 पर CFMS 2.0 की विहित रीति से की जायेगी।

13. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

14. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

15. योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक राज्य स्कीम मद से नारियल पौध वितरण योजना के अनुमोदित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

16. योजना के कार्यान्वयन एजेंसी, जिले के संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक, उद्यान समय–समय पर योजना का कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।

18. योजना के कार्यान्वयन में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

19. वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपया में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401001190101, विषय शीर्ष 0101.33.01 सब्सिडी।	10916.40	86.25

मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0130– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007890130, विषय शीर्ष 0130.33.01 सब्सिडी।	2112.00	0.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01– 2401007960152, विषय शीर्ष 0152.33.01 सब्सिडी।	171.60	0.00
योग	**13200.00**	**86.25**

20. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या DoH/SS/71/2026 के पृ0सं0–57/टि. पर दिनांक–14.10.2026 को प्राप्त है।

21. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या DoH/SS/71/2026 के पृ0सं0–52/टि. पर दिनांक–24.09.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–657 दिनांक–24.09.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026- प.प.एम० - 112 - /पटना दिनांक-26.10.2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026- प.प.एम० - 112 - /पटना दिनांक-26.10.2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026- प.प.एम० - 112 - /पटना दिनांक-26.10.2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026- प०प०एम० - 112 - /पटना दिनांक-26.10.2026

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, नारियल विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/ जिला उद्यान पदाधिकारी (सभी)/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– DoH/SS/71/2026- प०प०एम० - 112 - /पटना दिनांक-26.10.2026

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

26/10

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम (2026–27)

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख में)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	इकाई लागत प्रति पौधा (लाख रूपया में) परिवहन मूल्य सहित	सहायतानुदान प्रति पौधा	भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	2026-27	0.00115	0.0008625	100000	86.25
कुल				**100000**	**86.25**

(छियासी लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–02
नारियल पौधा वितरण कार्यक्रम (2026–27)

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (सामान्य वर्ग)
1	मधेपुरा	जिला उद्यान पदाधिकारी	6000	5.17500
2	सहरसा		6000	5.17500
3	सुपौल		6000	5.17500
4	अररिया		6000	5.17500
5	कटिहार		6000	5.17500
6	पूर्णियाँ		6000	5.17500
7	किशनगंज		6000	5.17500
8	मधुबनी		6000	5.17500
9	भागलपुर		6000	5.17500
10	बेगुसराय		4000	3.45000
11	खगड़िया		4000	3.45000
12	अरवल		1000	0.86250
13	भोजपुर		1600	1.38000
14	बक्सर		1600	1.38000
15	गोपालगंज		1000	0.86250
16	जहानाबाद		1000	0.86250
17	कैमुर		1600	1.38000
18	लखीसराय		1000	0.86250
19	नवादा		1600	1.38000
20	सारण		1600	1.38000
21	शेखपुरा		1000	0.86250
22	शिवहर		1000	0.86250
23	सीतामढ़ी		1800	1.55250
24	सिवान		1600	1.38000
25	औरंगाबाद		1600	1.38000
26	बाँका		1000	0.86250
27	दरभंगा		1600	1.38000
28	पूर्वी चम्पारण		1600	1.38000
29	गया		1000	0.86250
30	जमुई		1000	0.86250
31	मुंगेर		1600	1.38000
32	मुजफ्फरपुर		1600	1.38000
33	नालन्दा		1600	1.38000
34	पटना		1600	1.38000
35	रोहतास		1600	1.38000
36	समस्तीपुर		1600	1.38000
37	वैशाली		1600	1.38000
38	पश्चिम चम्पारण		1600	1.38000
कुल			**100000**	**86.25000**

(छियासी लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)

निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

(अभिषेक कुमार)